

**Updated upto 09 December 2009**

09 दिसम्बर 2009 तक अद्यावधिक

| वर्ष      | शिकायत की संख्या | अपीलों की संख्या | उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त अपीलों की संख्या | अपील जिनमें आयोग के आदेशों का पालन हो चुका है | अपील जिनमें कार्यवाही चल रही है |
|-----------|------------------|------------------|---|---|---------------------------------|
| 2005—2006 | 0                | 0                | 0   | 0   | 0                               |
| 2006—2007 | 2                | 7                | 1   | 5   | 3                               |
| 2007—2008 | 3                | 12               | 2   | 7   | 6                               |
| 2008—2009 | 0                | 66               | 7   | 16  | 22                              |
| 2009—2010 | 0                | 36               | 1   | 2   | 33                              |

## शिकायतों से संबंधित विवरण

| वर्ष       | शिकायतों की संख्या जिनमें आर्थिक दण्ड दिया गया | कुल धनराशि      | वसूल की गई धनराशि | शिकायतों की संख्या जिनमें विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई | शिकायतों की संख्या जिनमें विभागीय कार्यवाही की गई है | शिकायतों की संख्या जिनमें पारित आदेशों में कार्यवाही गतिमान है | मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश |
|------------|--|-----------------|-------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 2005-2006  | 0  | 0.00            | 0.00              | 0   | 0  | 0  | 0                              |
| 2006-2007  | 1  | 5000.00         | 0.00              | 1   | 1  | 0  | 1                              |
| 2007-2008  | 1  | 25000.00        | 25000.00          | 2   | 2  | 0  | 0                              |
| 2008-2009  | 0  | 0.00            | 0.00              | 1   | 0  | 1  | 0                              |
| 2009-2010  | 0  | 0.00            | 0.00              | 0   | 0  | 0  | 0                              |
| <b>कुल</b> | <b>2</b>                                       | <b>30000.00</b> | <b>25000.00</b>   | <b>4</b>  | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>                       |

## अपील से संबंधित विवरण

| वर्ष      | अपीलों की संख्या जिनमें आर्थिक दण्ड दिया गया | कुल धनराशि | वसूल की गई धनराशि | अपीलों की संख्या जिनमें विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई | अपीलों की संख्या जिनमें विभागीय कार्यवाही की गई है | अपीलों की संख्या जिनमें पारित आदेशों में कार्यवाही गतिमान है | विभागीय क्षतिपूर्ति की धनराशि | मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश |
|-----------|--|------------|-------------------|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 2005-2006 | 0  | 0.00       | 0.00              | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                              |
| 2006-2007 | 4  | 55000.00   | 55000.00          | 3   | 3  | 0  | 0                             | 0                              |
| 2007-2008 | 6  | 115000.00  | 37000.00          | 6   | 5  | 0  | 0                             | 3                              |
| 2008-2009 | 61   | 249500.00  | 127000.00         | 3   | 0  | 23   | 290000.00                     | 8                              |
| 2009-2010 | 16   | 115000.00  | 995.00            | 16  | 2  | 14   | 150995.00                     | 1                              |
| कुल योग   | 87   | 534500.00  | 219995.00         | 28  | 10   | 37   | 440995.00                     | 12                             |

# आदेश क्रियान्वयन पंजिका

वर्ष: 2006 – 07

| क्र०सं० | शिकायत / अपील संख्या | आदेश का दिनांक | अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण  | आदेश का संक्षिप्त विवरण   | यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक | अभ्युक्ति  |
|---------|----------------------|----------------|--|---|--|--|
| 1       | 2                    | 3              | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 1       | अ-2268               | 22.08.2006     | अपीलार्थी-श्री असरार अहमद, पार्क रोड, होटल पार्क व्यू के सामने काशीपुर प्रतिवादी<br>1-सचिव सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून<br>2-अपर सचिव सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून             | श्री यमुना प्रसाद ब्यास, कार्यालय सहायक, निदेशालय, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश पारित किये गये। |  | संयुक्त निदेशक द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.01.2008 द्वारा अवगत किया है कि प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश पारित कर दिये गये हैं                                     |
| 2       | अ-1671               | 05.09.2006     | अपीलार्थी-श्री सतीश सेमवाल केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तराखण्ड क्रांतीदल विवेकानन्द कोलेनी, गोपेश्वर-चमोली प्रतिवादी<br>1-अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम गोपेश्वर- चमोली<br>2.अधिशाली अभियन्ता, पेयजल निगम, गोपेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग | अधिशाली अभियन्ता, पेयजल निगम, गोपेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग को आर्थिक दण्ड रू० 25000.00 के आदेश दिये गये।                                      |  | मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा अपने पत्र 14.2.2007 द्वारा अवगत कराया है कि दोषी अधिकारी से आर्थिक दण्ड वसूल कर लिया गया है। |

|   |        |             |   |   |  |   |
|---|--------|-------------|---|---|--|---|
| 3 | अ-1672 | 05.09.2006  | अपीलार्थी-श्री सतीश सेमवाल<br>केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तराखण्ड<br>क्रांतीदल विवेकानन्द कोलेनी,<br>गोपेश्वर-चमोली<br>प्रतिवादी<br>1-अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल<br>निगम गोपेश्वर-चमोली<br>2.अभियन्ता,पेयजल निगम,<br>गोपेश्वर, चमोली,रुद्रप्रयाग | अधिशायी अभियन्ता,पेयजल<br>निगम, गोपेश्वर, चमोली,<br>रुद्रप्रयाग को आर्थिक दण्ड<br>रु0 25000.00 के आदेश दिये<br>गये.           |  | मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल<br>संसाधन विकास एवं निर्माण<br>निगम द्वारा अपने पत्र 14.2.2007<br>द्वारा अवगत कराया है कि दोषी<br>अधिकारी से आर्थिक दण्ड वसूल<br>कर लिया गया है. |
| 4 | अ-80   | 26.09.2006  | अपीलार्थी-श्री अर्जुन सिंह,<br>ग्राम जोहड़ी, जाखन, जोहड़ी<br>रोड, पो0 ओ0 सिनौला, जिला<br>देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1-खण्ड विकास<br>अधिकारी,कालसी, देहरादून<br>2.मुख्य विकास अधिकारी,<br>देहरादून   | तत्कालीन लोक सूचना<br>अधिकारी खण्ड विकास<br>अधिकारी, कालसी, देहरादून<br>आर्थिक दण्ड रु0 2000.00                               |  | उपायुक्त (प्रशासन) ग्राम्य विकास,<br>पौड़ी द्वारा अपने पत्र<br>1924/4-3-12/अपील सं0 80<br>दिनांक 30.08.2008 द्वारा अवगत<br>कराया है कि धनराशि की वसूली<br>कर ली गई है.            |
| 5 | अ-2597 | 14.11.2006  | अपीलार्थी-श्री भाष्कर चन्द्र<br>बृजवासी, 6- 130, नवाबी<br>रोड, तल्ली बमोरी, हल्द्वानी,<br>नैनीताल<br>प्रतिवादी<br>1- लोक सूचना अधिकारी,<br>निदेशक,उच्चशिक्षा निदेशालय,<br>नवाबी रोड, हल्द्वानी  | लोक सूचना अधिकारी,<br>निदेशक, उच्च शिक्षा<br>निदेशालय, नवाबी रोड,<br>हल्द्वानी को प्रतिकूल प्रविष्टि<br>के आदेश दिये गये हैं. |  | अनुपालन कर लिया गया है  |
| 6 | अ-130  | 04.12..2006 | अपीलार्थी-श्री सूरवीर लाल,  | श्री पी.एल.तिवारी , डीमड  |  | वसूली हो गई है।   |

|   |              |            |  |  |                                       |  |
|---|--------------|------------|--|--|---------------------------------------|--|
|   |              |            | मुख्य सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1-निदेशक विद्यालयी शिक्षा, देहरादून.<br>2-अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून   | लोक सूचना अधिकारी को आर्थिक दण्ड रू0 3000.00 के आदेश दिये गये हैं.                             |                                       |  |
| 7 | शिकायत -1973 | 08.08.2006 | शिकायतकर्ता-श्री किशोर मैठाणी प्रदेश महासचिव ग्रामीण पत्रकार एसोसियेशन, कैम्प कार्यालय सागर कम्प्यूनिकेशन, नटराज चौक, ऋषिकेश<br>प्रतिवादी<br>1-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी.<br>2-मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी | विभागीय कार्यवाही  |                                       | सचिव, पंचायती राज द्वारा सूचित किया है कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. |
| 8 | अ-2862       | 25.09.2006 | अपीलार्थी-श्री सुरेन्द्र दत्त जोशी पुत्र श्री मायाराम जोशी, ग्रा0 व पोस्ट कालसी बाजार, जिला देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1-खण्ड विकास अधिकारी, कालसी जिला देहरादून.  | तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कालसी जिला देहरादून के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये |                                       | सचिव ग्राम्य विकास द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं   |
| 9 | शिकायत -2311 | 17.10.2006 | शिकायतकर्ता-श्री सतीश सेमवाल केन्द्रीय प्रवक्ता  | लोक सूचना अधिकारी को आर्थिक दण्ड रू0 5000.00 के  | 1844(m/s) of 2006<br>Dated 18/12/2006 | मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 18.   |

|  |  |   |                     |  |   |
|--|--|---|---------------------|--|---|
|  |  | उत्तराखण्ड क्रांतीदल<br>विवेकानन्द कोलेनी, गोपेश्वर-<br>चमोली<br>प्रतिवादी<br>1-अधिकासी अभियन्ता, विद्युत<br>वितरण खण्ड, गोपेश्वर | आदेश पारित किये गये |  | 12.2006 द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं. |
|--|--|---|---------------------|--|---|

वर्ष का कुल योग:

शिकायत : 2

अपील : 7

## आदेश क्रियान्वयन पंजिका

वर्ष: 2007 – 08

| क्र० सं० | शिकायत / अपील संख्या | आदेश का दिनांक | अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण  | आदेश का संक्षिप्त विवरण  | यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक | अभ्युक्ति   |
|----------|----------------------|----------------|--|--|--|---|
| 1        | 2                    | 3              | 4  | 5  | 6  | 7   |
| 1        | शिकायत -147          | 03.01.2007     | शिकायतकर्ता—श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री इन्द्रजीत शास्त्री 4-डी, न्यू कालोनी, रेलवे रोड़ रिंकारी भवन के सामने, सोनीपत, हरियाणा<br>प्रतिवादी<br>1-जिलाधिकारी, देहरादून | तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई.                   |  | अनुपालन आख्या जिलाधिकारी देहरादून अपेक्षित है           |
| 2        | अ-117                | 15.01.2007     | अपीलार्थी—श्री टीका प्रसाद डोभाल, अपर देव प्रयाग रोड, पौड़ी गढ़वाल<br>प्रतिवादी<br>1-जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल.<br>2-उप जिला अधिकारी, बारहस्यू, पौड़ी गढ़वाल                    | तत्कालीन उप जिला अधिकारी, बारहस्यू, पौड़ी गढ़वाल को प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश दिये गये हैं. |  | मा० उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किय है।              |
| 3        | अ-232                | 12.03.2007     | अपीलार्थी—श्री बृजभूषण अग्रवाल, मैसर्स स्टील शेपर्स, मुखानी कालाढूंगी रोड,   | लोक सेवकों के अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण के संबंध में अभिलेखों के                              |  | अनुपालन आख्या प्रमुख वन संरक्षक से प्राप्त नहीं हुई है. |

|   |       |            |  |  |                                     |  |
|---|-------|------------|--|--|-------------------------------------|--|
|   |       |            | हल्द्वानी.<br>प्रतिवादी<br>1-वन संरक्षक, पश्चिमी<br>वृत्त, हल्द्वानी   | अवलोकन के उपरान्त अपने<br>स्तर से प्रमुख सचिव एवं<br>ग्राम्य विकास आयुक्त और<br>प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड<br>को अपने स्तर से विभागीय<br>कार्यवाही करने के निर्देश दिये<br>गये थे।                 |                                     |  |
| 4 | अ-226 | 28.03.2007 | अपीलार्थी-श्री प्रबल सिंह<br>बुटोला से. नि. तहसीलदार<br>विकास नगर देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1-जिला अधिकारी देहरादून.  | जिलाधिकारी देहरादून को<br>जिस स्तर से पत्रावली गायब<br>हुये है उस स्तर पर<br>प्रशासनिक कार्यवाही के<br>आदेश दिये गये हैं   |                                     | अनुपालन आख्या जिलाधिकारी<br>देहरादून अपेक्षित है   |
| 5 | अ-165 | 9.04.2007  | अपीलार्थी-श्री शिव सिंह नेगी<br>पुत्र स्व0 श्री ए.एस.नेगी<br>ब्लाक जे-9 / 2 टाइप ।।।<br>नई टिहरी<br>प्रतिवादी<br>1-अधीक्षण अभियन्ता(पु0)<br>टिहरी बांध परियोजना<br>2-अधिशायी अभियन्ता,टिहरी<br>बांध खण्ड 22,नई टिहरी | तत्कालीन लोक सूचना<br>अधिकारी श्री आर0के0गर्ग एवं<br>तत्कालीन प्रभारी पुनर्वास के<br>वैयकथक सहायक श्री नरेन्द्र<br>सिंह पुण्डीर को आर्थिक दण्ड<br>रू0 5000.00-5000.00 के<br>आदेश पारित किये गये हैं. |                                     | अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड<br>पी0डब्ल्यूडी श्रीनगर द्वारा अपने पत्र<br>दिनांक 8.7.2008 दद्वारा अवगत<br>कराया गया है कि दण्ड की धनराशि<br>वसूल कर ली गई है |
| 6 | अ-189 | 11.06.2007 | अपीलार्थी-श्री गोविन्द सिंह,<br>मौहल्ला नत्था सिंह, तहसील<br>जसपुर, उधम सिंह नगर<br>प्रतिवादी<br>1-उप जिला अधिकारी,<br>काशीपुर   | तत्कालीन उप जिला<br>अधिकारी, काशीपुर को<br>आर्थिक दण्ड रू0 25000.00<br>के आदेश दिये गये हैं.   | 2470/2007(m/s)<br>Dateed 19/12/2008 | मा0 उच्च न्यालय नैनीताल से<br>स्थगनादेश प्राप्त किया है.   |

|   |              |            |   |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|--|--|---|
| 7 | अ-291        | 11.06.2007 | अपीलार्थी-डा0 जयदीप दत्ता,127,ई.सी.रोड, देहरादून प्रतिवादी<br>1-लो0सू0अधिकारी,अधिकासी अभियन्ता,जल संस्थान प्रकाश विहार,धर्मपुर,देहरादून<br>2-अपीलीय अधिकारी,जल संस्थान प्रकाश विहार,धर्मपुर, देहरादून | श्री एल.सी0 त्यागी, सहायक इंजीनियर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं.                              |  | सचिव प्रशासन, उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.1.2008 द्वारा अवगत कराया है कि कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत प्रसतावित दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है. |
| 8 | शिकायत - 212 | 11.06.2007 | शिकायतकर्ता-सुश्री बबली देवी, उपाध्यक्षा, नगर पंचायत हरबर्टपुर, देहरादून. प्रतिवादी<br>1-अधिकासी अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी , नगर पंचायत हरबर्टपुर.  | तत्कालीन अधिकासी अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी , नगर पंचायत हरबर्टपुर को प्रतिकूल टिप्पणी देने के आदेश दिये गये हैं. |  | निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा उनके स्तर से अनुपालन कर लिया गया है   |
| 9 | अ-367        | 29.8.2007  | अपीलार्थी-श्री आनन्द सिंह चौहान,त0न0सं0 श्रीनगर प्रतिवादी<br>1-अपर निदेशक,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड गोपेश्वर<br>2-लो0सू0अ0 कार्यालय प्रायोजना अधिकारी, त0न0सं0 श्रीनगर गढ़वाल                          | लो0सू0अ0 कार्यालय प्रायोजना अधिकारी, त0न0सं0 श्रीनगर गढ़वाल आर्थिक दण्ड रू0 5000.00 के आदेश दिये गये.              |  | अपर निदेशक,पशुपालन द्वारा अवगत कराया है कि दण्डात्मक राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा दी गई है.  |

|    |       |            |   |   |                               |  |
|----|-------|------------|---|---|-------------------------------|--|
| 10 | अ-167 | 23.11.2007 | शिकायतकर्ता-श्री कैलाश चन्द्र जुगरान कुकरेती पी.सी. ओ. निकट लो0नि0वि0 बदरीनाथ मार्ग, श्रीनगर(गढ़वाल) प्रतिवादी<br>1-कुल सचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर(गढ़वाल). | तत्कालीन कुल सचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) को आर्थिक दण्ड रू0 25000.00 के आदेश दिये गये | 19/2008(m/s) Dated 04/01/2008 | मा0 उच्च न्यालय नैनीताल से स्थगनादेश प्राप्त किया है.  |
| 11 | अ-418 | 13.11.2007 | अपीलार्थी-श्रीमती शशी रावत,स्टाबरी बैंक,कुलडी,मसूरी प्रतिवादी<br>1-लो0सू0अधिकारी,एम.डी.डी. ए. 12 प्रीतम रोड, देहरादून<br>2- अध्यक्ष एम.डी.डी.ए. 26 ई.सी.रोड,देहरादून        | तत्कालीन लो0सू0 अधिकारी, एम.डी.डी.ए.को आर्थिक दण्ड रू0 25000.00 के आदेश दिये गये हैं.                         |                               | अनुपालन के क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.12.2007 के माध्यम से सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अर्थदण्ड वसूल करने के निर्देश दिये गये हैं. |
| 12 | अ-397 | 03.12.2007 | अपीलार्थी-श्रीमती नीलीमा अग्रवाल,12 डी कोर्स,देहरादून प्रतिवादी<br>1-लो0सू0अधिकारी एम.डी.डी. ए. 26 ई.सी.रोड,देहरादून<br>2-वि0अ0अ0 एम.डी.डी.ए. 26 ई.सी.रोड,देहरादून          | दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश दिये गये.      |                               | अनुपालन कर लिया गया है अनुपालन कर लिया गया है  |

|    |       |            |  |  |  |
|----|-------|------------|--|--|--|
| 13 | अ-339 | 05.12.2007 | <p>अपीलार्थी-श्री जी.एस.त्रिपाठी,<br/>35 राजपुर रोड, देहरादून<br/>प्रतिवादी</p> <p>1-लो0सू0अधिकारी, प्राचार्य<br/>डी.ए.वी. पी.जी. कालेज<br/>देहरादून</p> <p>2-प्रबंधक, डी.ए.वी. पी.जी.<br/>कालेज देहरादून</p> <p>3-सचिव, उच्च शिक्षा,<br/>उत्तराखण्ड शासन, देहरादून</p> <p>4-निदेशक, उच्च शिक्षा, नवाबी<br/>रोड, हल्द्वानी, नैनीताल</p> <p>5-उप निदेशक, उच्च शिक्षा<br/>विभाग, देहरादून</p> <p>6-कुल सचिव, हे0 न0 ब0<br/>ग0 विश्वविद्यालय, श्रीनगर,<br/>गढ़वाल</p> | <p>तत्कालीन लो0सू0 अधिकारियों<br/>, प्राचार्य डी.ए.वी. पी.जी.<br/>कालेज देहरादून<br/>आर्थिक दण्ड रू0 25000.00<br/>के आदेश दिये गये</p> | <p>उप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा अपने<br/>पत्र दिनांक 21.04.2008 के माध्यम से<br/>अवगत कराया है कि आर्थिक दण्ड<br/>की राशि वसूल कर ली गई है।</p>  |
| 14 | अ-417 | 5.12.2007  | <p>अपीलार्थी-श्रीमती शशी<br/>रावत, स्टाबरी<br/>बैंक, कुलडी, मसूरी<br/>प्रतिवादी</p> <p>1-लो0सू0अधिकारी, नगरपालि<br/>का परिषद मसूरी</p> <p>2-निदेशक, शहरी विकास<br/>निदेशालय देहरादून</p>   | <p>तत्कालीन लो0 सू0 अधिकारी,<br/>नगरपालिका परिषद मसूरी<br/>को प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश<br/>दिये गये</p>                              | <p>निदेशक शहरी विकास ने अवपने<br/>पत्रांक 717 / श0वि0नि0-433(2) /<br/>सू0अ0 / 2008 दिनांक 14.8.2008 के<br/>माध्यम से अवगत कराया है कि दोषी<br/>तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी<br/>नगरपालिका मसूरी प्रतिकूल प्रविष्टि<br/>दी गई है।</p> |

|    |                |            |   |  |  |                           |
|----|----------------|------------|---|--|--|---------------------------|
| 15 | शिकायत<br>-823 | 05.12.2007 | अपीलार्थी-श्री गजेन्द्र सिंह<br>गहलौत, 318, चुक्खूवाला,<br>देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1-लो0सू0अधिकारी,उप जिला<br>अधिकारी, नैनीताल | तत्कालीन लो0सू0अधिकारी,उप<br>जिला अधिकारी, नैनीताल को<br>आर्थिक दण्ड रू0 25000.00<br>के आदेश दिये गये हैं. |  | अनुपालन आख्या अप्राप्त है |
|----|----------------|------------|---|--|--|---------------------------|

वर्ष का कुल योग:

शिकायत : 3

अपील : 12

**आदेश क्रियान्वयन पंजिका**  
**वर्ष: 2008 – 09**

| क्रं0<br>सं0 | शिकायत<br>/ अपील<br>संख्या | आदेश का<br>दिनांक | अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के<br>विवरण   | आदेश का संक्षिप्त विवरण  | यदि उच्च न्यायालय द्वारा<br>स्थगनादेश जारी किया हो<br>तो उच्च न्यायालय की<br>रिट पेटिशन संख्या तथा<br>दिनांक | अभ्युक्ति |
|--------------|----------------------------|-------------------|--|--|--|-----------|
| 1            | 2                          | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7         |
| 1            | अ-492                      | 12.02.2008        | श्री अरविन्द कुमार जैन, 2 बाबू<br>गंज, दर्शनी गेट, देहरादून<br>बनाम<br>1.सहायक आयुक्त बाणिज्य<br>कर,23 लक्ष्मी रोड,देहरादून।<br>2.संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य<br>कर,23 लक्ष्मी रोड,देहरादून। | तत्कालीन लोक सूचना<br>अधिकारी को रू0 2000.00<br>का आर्थिक दण्ड दिया गया<br>है। | अनुपालन कर लिया गया<br>है  |           |
| 2            | अ-524                      | 07.07.2008        | श्री सुरेन्द्र सिंह, मौ.<br>गुजरातियान, जसपुर, उधम<br>सिंह नगर<br>प्रतिवादी<br>1. तहसीलदार काशीपुर<br>2. उप जिला अधिकारी काशीपुर   | लोक सूचना अधिकारी को<br>रू0 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है.      | अनुपालन कर लिया गया<br>है  |           |
| 3            | अ-631                      | 09.07.2008        | श्री गुरदयाल सिंह, वार्ड नं0 7,<br>गदरपुर, उधम सिंह नगर<br>प्रतिवादी<br>1. तहसीलदार, गदरपुर, उधम<br>सिंह नगर<br>2. उप जिला अधिकारी,<br>बाजपुर, उधम सिंह नगर                              | लोक सूचना अधिकारी को<br>रू0 3000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है.      | 1233 / 2008(m/s)<br>Dateed 23/07/2008<br>अनुपालन कर लिया गया<br>है   |           |

|   |       |            |   |   |                        |                                       |
|---|-------|------------|---|---|------------------------|---------------------------------------|
|   |       |            | 3.  |   |                        |                                       |
| 4 | अ-632 | 15.07.2008 | <p>श्री प्रीतम सिंह, ग्राम मूलदासपुर उर्फ माजरा, पो.आ. दौलतपुर, रुड़की प्रतिवादी</p> <p>1 ग्राम प्रधान, ग्राम मूलदासपुर उर्फ माजरा, पो.आ. दौलतपुर, रुड़की</p> <p>2 खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की</p>                                     | ग्राम प्रधान श्रीमती हरिता रानी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार सैनी प्रत्येक को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है। | अनुपालन कर लिया गया है |                                       |
| 5 | अ-633 | 21.07.2008 | <p>डा. जयदीप दत्ता, 13 ए, न्यू सर्वे रोड, देहरादून प्रतिवादी</p> <p>1. सचिव, प्रशासन, उत्तराखण्ड जल संस्थान, बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून</p> <p>2. मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून</p> | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है.   |                        | शि0 सं0 1933/उ0सू0आ0 द्वारा कार्यवाही |
| 6 | अ-643 | 22.07.2008 | <p>श्री अहसान अंसारी, दि सण्डेपोस्ट, रोहिणी प्लाजा काम्प्लेक्स, राजपुर रोड, देहरादून प्रतिवादी</p> <p>1.अनु सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून</p> <p>2.अपर सचिव, गृह विभाग,</p>  | विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है.   |                        | शि0 सं0 1933/उ0सू0आ0 द्वारा कार्यवाही |

|   |              |            |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|--|--|--|--|
|   |              |            | उत्तराखण्ड शासन, देहरादून  |  |  |  |
| 7 | अ-550        | 23.07.2008 | श्रीमती कुन्ती परिहार, सरमूल<br>होटल, माल रोड, अल्मोड़ा<br>प्रतिवादी<br>1. पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा<br>2. पुलिस उप<br>महानिरीक्षक, कुमाऊ<br>मण्डल, नैनीताल  | डीम्ड लोक सूचना अधिकारी<br>क्रमांक: वरिष्ठ उप निरीक्षक<br>श्री दिवान सिंह विष्ट, हैड<br>मोहरीर श्री मोहन राम तथा<br>हैड कांसेबल प्रो० श्री<br>जगदीश प्रसाद प्रतयेक पर<br>रु० 2000-2000 का अर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है. | पुलिस अधीक्षक बागेश्वर<br>ने अपने पत्रांक<br>ब-4/2007 दिनांक 6.9.<br>2008 द्वारा अवगत कराया<br>है कि धनराशि वसूल कर<br>कोषागार में जमा करा<br>दिया गया है. |  |
| 8 | अ-602        | 23.07.2008 | श्री भगवान सिंह, म.न. 117,<br>श्री श्रवणनाथ घाट (मठ),<br>सब्जी मण्डी, हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1. उप खण्ड अधिकारी, विद्युत<br>वितरण उवखण्ड, हरिद्वार<br>2. उप महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड<br>पावर कोर्पोरेशन, विद्युत<br>वितरण मण्डल रुड़की   | तत्कालीन लोक सूचना<br>अधिकारी को सूचना उपलब्ध<br>कराने में हुए विलम्ब के लिये<br>रु० 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है.   | 1. उप महाप्रबंधक द्वारा<br>पत्रांक 4917 दिनांक 2.9.<br>2008 से अवगत कराया है<br>कि धनराशि वसूली के<br>आदेश पारित किये गये हैं                              |  |
| 9 | अ-604<br>608 | 23.07.2008 | श्री विजय कुमार सक्सेना,<br>चैम्बर नं० 121, जिला एवं सत्र<br>न्यायालय, रोशनबाद हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1. अधिशासी अभियन्ता,<br>उत्तराखण्ड पावर<br>कार्पोरेशन, इण्डस्ट्रियल<br>एरिया, हरिद्वार<br>2. उप महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड<br>पावर कोर्पोरेशन, विद्युत<br>वितरण मण्डल रुड़की | तत्कालीन लोक सूचना<br>अधिकारी को सूचना उपलब्ध<br>कराने में हुए विलम्ब के लिये<br>रु० 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है.   | 1. उप महाप्रबंधक द्वारा<br>पत्रांक 4917 दिनांक 2.9.<br>2008 से अवगत कराया है<br>कि धनराशि वसूली के<br>आदेश पारित किये गये हैं                              |  |

|    |       |            |   |   |   |  |
|----|-------|------------|---|---|---|--|
| 10 | अ-627 | 23.07.2008 | सचिव, इको वाच सोसाइटी,<br>11 चन्दर रोड, डालनवाला,<br>देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. उप सचिव, लोक<br>निर्माण विभाग,<br>उत्तराखण्ड शासन,<br>देहरादून<br>2. सचिव, लोक निर्माण<br>विभाग, उत्तरखण्ड<br>शासन, देहरादून           | लोक सूचना अधिकारी, उप<br>सचिव, लोक निर्माण विभाग,<br>उत्तराखण्ड शासन को रू0<br>5000.00 का आर्थिक दण्ड<br>आरोपित किया गया.<br>मा0 आयोग द्वारा दिनांक 23.<br>07.2008 को पारित आदेश में<br>संशोधन किया गया एवं लोक<br>सूचना अधिकारी को भविष्य<br>के लिये सचेत करते हुए<br>लिखित तथ्यात्मक प्रविष्टि के<br>रूप में उनके इस वर्ष के<br>वार्षिक मूल्यांकन का भाग<br>जायेगा. | रिट याचिका संख्या 1575<br>2008 दिनांक 12.09.2008<br>द्वारा स्थगन आदेश के<br>परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों को<br>दिनांक 24.09.2005 को<br>सुनवाई की गई |  |
| 11 | अ-653 | 23.07.2008 | श्री सुरेन्द्र दत्त थपलियाल,<br>ग्राम आवई, पो0 चमकोटखाल,<br>वाया भृगुखाल, पौड़ी<br>प्रतिवादी<br>1. प्रधान, ग्राम सभा ढासौ,पो.<br>ढासौ, वाया सिलोगी, पौड़ी<br>2. खण्ड विकास अधिकारी,<br>यमकेश्वर, वाया भृगुखाल,<br>पौड़ी | तत्कालीन प्रधान, ग्राम सभा<br>ढासौ,पो.ढासौ, वाया सिलोगी,<br>पौड़ी रू0 2500.00 एवं ग्राम<br>पंचायत विकास अधिकारी<br>ढासौ को रू0 2500.00 का<br>आर्थिक दण्ड आरोपित किया<br>गया है.   | मुख्य कोषाधिकारी द्वारा<br>अवगत कराया गया है कि<br>सम्बन्धित पक्षों से धनराशि<br>वसूल कर ली गई है.  |  |
| 12 | अ-635 | 28.07.2008 | श्री जी.एस.त्रिपाठी,35 राजपुर<br>रोड, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. प्राचार्य,डी.ए.वी. पी.जी.<br>कालेज, करनपुर, देहरादून<br>2. सचिव,बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट,   | लोक सूचना अधिकारी को<br>रू0 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है<br>एवं विभागीय अपीलीय<br>अधिकारी के विरुद्ध विभागीय<br>कार्यवाही की संस्तुति की गई   | निदेशक,उच्च<br>शिक्षा,उत्तराखण्ड द्वारा<br>अपने पत्र दिनांक 461<br>दिनांक 2.1.2009 द्वारा<br>अवगत कराया है कि मा0<br>आयोग के आदेश का              |  |

|    |       |            |   |  |   |  |
|----|-------|------------|---|--|---|--|
|    |       |            | डी.ए.वी.<br>3. पी.जी. कालेज, करनपुर,<br>देहरादून  | है.  | अनुपालन किया जा चुका<br>है  |  |
| 13 | अ-759 | 29.07.2008 | डा० दिनेश कुमार शर्मा, उर्वशी<br>काम्प्लैक्स, देहरादून रोड,<br>ऋषिकेश<br>प्रतिवादी<br>1. अपर निदेशक(गढ़वाल<br>मण्डल), चिकित्सा स्वास्थ्य<br>एवं परिवार कल्याण, पौड़ी<br>2. महानिदेशक, चिकित्सा<br>स्वास्थ्यएवंपरिवार कल्याण,<br>107 चन्दर रोड, देहरादून | लोक सूचना अधिकारी को<br>रु० 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है<br>एवं विभागीय अपीलीय<br>अधिकारी के विरुद्ध विभागीय<br>कार्यवाही की संस्तुति की गई<br>है. | वसूली हो गई है विभागीय<br>कार्यवाही अपेक्षित।   |  |
| 14 | अ-767 | 29.07.2008 | श्रीमती मधु शर्मा, ग्रा.<br>गोपालपुर, पो. बालावाली,<br>जनपद बिजनौर, उ०प्र०<br>प्रतिवादी<br>1. पुलिस अधीक्षक(नगर),<br>हरिद्वार<br>2. पुलिस महानिरीक्षक,<br>गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून   | लोक सूचना अधिकारी को<br>रु० 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है.  | उप महानिरीक्षक पुलिस<br>द्वारा अपने पत्र द्वारा<br>अवगत कराया है कि<br>कार्यवाही प्रचलित है।  |  |
| 15 | अ-647 | 29.07.2008 | श्री देवेश, सागर कम्यूनिकेशन,<br>नटराज चौक, ऋषिकेश<br>प्रतिवादी<br>1. सहायक क्षेत्रीय<br>प्रबंधक(वित्त), उत्तराखण्ड<br>परिवहन निगम, 66 गांधी<br>रोड, देहरादून<br>2. क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तराखण्ड   | तत्कालीन लोक सूचना<br>अधिकारी श्री आर०पी०गुप्ता<br>पर रु० 1000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है.  | प्रबंध निदेशक,<br>उत्तराखण्ड परिवहन<br>निगम, मुख्यालय, 117<br>इन्दिरा नगर, देहरादून<br>द्वारा अपने पत्रांक 1651<br>/एच०क्यू० /1-सूचना<br>का अधि० अधि०<br>-2005/08 द्वारा अवगत |  |

|    |       |            |  |   |  |                                       |
|----|-------|------------|--|---|--|---------------------------------------|
|    |       |            | परिवहन निगम, 66 गांधी रोड, देहरादून  |   | कराया है कि धनराशि की वसूली की जा चुकी है. |                                       |
| 16 | अ-762 | 29.07.2008 | श्री ऑकरदीप सिंह,सिद्धकी मार्केट,मुरादाबाद रोड, काशीपुर प्रतिवादी<br>1. मुख्य विकास अधिकारी,उधम सिंह नगर<br>2. आयुक्त ग्राम्य विकास,पौड़ी  | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है.                                      |  | शि0 सं0 1933/उ0सू0आ0 द्वारा कार्यवाही |
| 17 | अ-672 | 30.07.2008 | श्री एन.डी.डोबरियाल, 40 / 3 भण्डारी बाग, ब्लॉक 3, देहरादून प्रतिवादी<br>1. लो.सू.अ.,निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,दुगड्डा पौड़ी<br>2. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,दुगड्डा | लो.सू.अ.,निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,दुगड्डा पौड़ी पर रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है. | अनुपालन कर लिया गया है                     |                                       |
| 18 | अ-644 | 30.07.2008 | श्रीमती नुजहत परवीन,मौ. मलानपुरा, मंगलोर, जनपद हरिद्वार प्रतिवादी<br>1. लो.सू.अ., विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, मयूर विहार, देहरादून  | लोक सूचना अधिकारी को रू0 3000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है.                                      | अनुपालन कर लिया गया है                     |                                       |

|    |                 |                          |  |  |                        |                                       |
|----|-----------------|--------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------------|
|    |                 |                          | 2. निदेशक विद्यालयी शिक्षा, मयूर विहार, देहरादून   |  |                        |                                       |
| 19 | अ-658           | 30.07.2008               | कृ. रेखा शर्मा, 33 आदर्श विहार, अधोईवाला, रायपुर रोड, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. कुलसचिव, हे.न.ब. गएत्रवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर<br>2. कुलपति, हे.न.ब. गएत्रवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है. | अनुपालन कर लिया गया है |                                       |
| 20 | अ-697           | 30.07.2008               | श्री रमेश कुमार प्रजापति, गली नं0 8, न्यू सुभाष नगर, निकट छी.पी.एस. ज्वालापुर, हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1. जिलाधिकारी पौड़ी<br>2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी                            | लोक सूचना अधिकारी को रू0 2000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है. | अनुपालन कर लिया गया है |                                       |
| 21 | अ-763<br>अ-1621 | 30.07.2008<br>10.08.2009 | श्री ओंकरदीप सिंह, सिद्धकी मार्केट, मुरादाबाद रोड, काशीपुर<br>प्रतिवादी<br>1. जिला अधिकारी, उधमसिंहनगर<br>2. आयुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल   | विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है.  |                        |                                       |
| 22 | अ-765           | 30.07.2008               | श्री ओंकरदीप सिंह, सिद्धकी मार्केट, मुरादाबाद रोड, काशीपुर<br>प्रतिवादी<br>3. खण्ड विकास अधिकारी, जसपुर, जनपद उधम सिंह   | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय                                 |                        | शि0 सं0 1933/उ0सू0आ0 द्वारा कार्यवाही |

|    |       |            |   |  |   |   |
|----|-------|------------|---|--|---|---|
|    |       |            | नगर<br>4. मुख्य विकास अधिकारी,<br>उधम सिंह नगर  | कार्यवाही की संस्तुति की गई है.  |   |   |
| 23 | अ-675 | 05.08.2008 | श्री अनिल अंश, बी 56 बैराज कालोनी, ऋषिकेश प्रतिवादी<br>1. अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, पशुलोक ऋषिकेश<br>2. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, पशुलोक ऋषिकेश.                 | लोक सूचना अधिकारी को रु0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है. | वसूली हो गई है विभागीय कार्यवाही के लिये विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा क्षमा याचना मांगी है।  |   |
| 24 | अ-679 | 05.08.2008 | डा. रवि भूषण पाण्डेय, 16 ई. सी. रोड, देहरादून प्रतिवादी<br>1. उप आयुक्त, (कर निर्धारण 4), वाणिज्य कर, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून<br>2. अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून | लोक सूचना अधिकारी को रु0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है. | उच्च न्यायालय से स्थगन  |   |
| 25 | अ-654 | 06.08.2008 | श्री संदीप सुखीजा, बी.के. इण्डस्ट्रीज, किशनपुर, किच्छा, उधम सिंह नगर प्रतिवादी<br>1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उधम सिंह नगर<br>2. अपर निदेशक, उद्योग निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून              | लोक सूचना अधिकारी को रु0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है   | उप निदेशक उद्योग ने अपने पत्र सं0 3530 दिनांक 10.11.2008 द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। | उप निदेशक, उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 11.09.2007 द्वारा अवगत कराया है कि विभागीय स्तर से कोषाधिकारी उधम सिंह नगर को धनराशि की कटौती महा प्रबंधक जि.उ.के. उधमसिंह नगर के माह सितम्बर के वेतन से करने हेतु लिखा गया है. |

|    |        |            |  |  |   |  |
|----|--------|------------|--|--|---|--|
| 26 | अ-656  | 06.08.2008 | श्री रमेश कुमार प्रजापति, गली नं0 8, न्यू सुभाष नगर, निकट छी.पी.एस. ज्वालापुर, हरिद्वार प्रतिवादी<br>1.सहायक निदेशक काराखान, श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी<br>2.श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी. | लोक सूचना अधिकारी को रू0 3000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है. |   |  |
| 27 | अ- 700 | 06.08.2008 | सुश्री ऋचा रानी, जी.टी. रोड़, मंगलौर, हरिद्वार प्रतिवादी<br>1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नारसन, हरिद्वार<br>2. जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार  | डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, प्रधानाचार्या, सी.एस.ए. जूनियर हाई स्कूल, मंगलौर, हरिद्वार को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है.            | मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन ले लिया गया है |  |
| 28 | अ-770  | 06.08.2008 | श्री मोहन राम आर्य, गुसांई नगर, वार्ड नं0 7, पशु अस्पताल के सामने, हल्द्वानी प्रतिवादी<br>3. अनु सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.<br>4. अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्डशासन, देहरादून                               | लोक सूचना अधिकारी को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है. | अनुपालन कर लिया गया है।                   |  |

|    |       |            |  |   |  |                                       |
|----|-------|------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 29 | अ-771 | 06.08.2008 | श्री चन्द्रमोहन भट्ट, ए 13 बैराज कालोनी, पशुलोक, ऋषिकेश<br>प्रतिवादी<br>1. जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी<br>2. अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी                                | लोक सूचना अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है.   | विभाग द्वारा चालान सं0 00208 दिनांक 17.10.2008 द्वारा आर्थिक दण्ड की राशि जमा करा दी गई है।  |                                       |
| 30 | अ-708 | 11.08.2008 | श्री अमर सिंह धुन्ता, 827 / 1 सिरमौर मार्ग, राजेन्द्र नगर, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून<br>2. अपर शिक्षा निदेशक, देहरादून                                   | लोक सूचना अधिकारी / प्रधानाचार्य, महादेवी कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, देहरादून को रू0 2000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया.  | प्रबन्धक, एम0के0पी0 कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 27.09.2008 द्वारा अवगत कराया है कि घनराशि वसूल कर लर गई है |                                       |
| 31 | अ-712 | 19.08.2008 | श्री जगदीश गुप्ता, मोती बाजार, हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार<br>2. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पौड़ी | तत्कालीन लो0सू0अ0, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरिद्वार को आर्थिक दण्ड रू0 5000.00 के आदेश दिये गये एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं. |  | शि0 सं0 1933/उ0सू0आ0 द्वारा कार्यवाही |

|    |       |            |   |   |   |                                       |
|----|-------|------------|---|---|---|---------------------------------------|
| 32 | अ-781 | 19.08.2008 | श्री वीरेन्द्र सिंह पुण्डेर, ग्राम अलमस, पो. भवान जौनपुर, जनपद टिहरी प्रतिवादी<br>1. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी<br>2. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई कार्य मण्डल, पौड़ी   | विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं.   |   | शि० सं० 1933/उ०सू०आ० द्वारा कार्यवाही |
| 33 | अ-689 | 20.08.2008 | श्री इन्दरपाल कोहली, 5 मेविला कम्पाउण्ड, रावल बिल्डिंग, टाप तल, तल्लीताल, नैनीताल प्रतिवादी<br>1. अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।<br>2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। | लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध रू० 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया।  | अनुपालन कर लिया गया है।   |                                       |
| 34 | अ-727 | 22.08.2008 | श्री संदीप कुमार, 99 / 1 आर्य नगर II, देहरादून प्रतिवादी<br>3. लोक सूचना अधिकारी, जी. बी.पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी   | लो०सू०आ०, को आर्थिक दण्ड रू० 2500.00 के आदेश दिये गये एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं. | मुख्य कोषाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित पक्षों से धनराशि वसूल कर ली गई है. |                                       |

|    |                               |            |   |   |  |  |
|----|-------------------------------|------------|---|---|--|--|
|    |                               |            | 4. प्रधानाचार्य, जी.बी.पन्त<br>इंजीनियरिंग<br>कालेज,घुड़दौड़ी, पौड़ी  |   |  |  |
| 35 | अ-662,<br>663,<br>664,<br>665 | 20.08.2008 | श्रीमती भारती तिवारी द्वारा डा.<br>हरिहर नाथ दिक्षित, आनन्दी<br>पुरम कालोनी, नवाबी रोड,<br>हल्द्वानी<br>प्रतिवादी<br>1. जिला कार्यक्रम अधिकारी,<br>बाल विकास सेवा, विकास<br>भवन भीमताल, नैनीताल<br>2. निदेशक आई.सी.डी.एस.,<br>25 शास्त्री नगर, देहरादून | लो0सू0अ0,को आर्थिक दण्ड<br>रू0 5000.00 के आदेश दिये<br>गये एवं विभागीय अपीलीय<br>अधिकारी के विरुद्ध विभागीय<br>कार्यवाही के आदेश दिये गये<br>हैं.   | मा0 उच्च न्यायालय से<br>रिट पिटीसन सं0<br>1748 / 2008(एम/एस)<br>दिनांक 30.09.2008 द्वारा<br>स्थगन प्राप्त किया है। |  |
| 36 | अ-771                         | 22.08.2008 | अपीलार्थी-श्री जी.एस.त्रिपाठी,<br>35 राजपुर रोड,देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1-लो0सू0अधिकारी,प्राचार्य डी.<br>ए.वी. पी.जी. कालेज देहरादून<br>2-सचिव, दबोर्ड आफ<br>मैनेजमेंट,डी.ए.वी. पी.जी.<br>कालेज, करनपुर, देहरादून.                                     | लो0सू0अ0,,प्राचार्य डी.ए.वी.<br>पी.जी. कालेज देहरादून<br>आर्थिक दण्ड रू0 5000.00<br>के आदेश दिये गये एवं<br>विभागीय अपीलीय अधिकारी<br>के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही<br>के आदेश दिये गये हैं. | मुख्य कोषाधिकारी द्वारा<br>अवगत कराया गया है कि<br>सम्बन्धित पक्षों से धनराशि<br>वसूल कर ली गई है.                 |  |
| 37 | अ-757                         | 25.08.2008 | श्री अरण्य रंजन, जागृति भवन,<br>खाड़ी, पो. ओ. जाजल, जनपद<br>टिहरी<br>प्रतिवादी<br>1. निदेशक स्वामी रामतीर्थ<br>परिसर, बादशाहीमौल,टिहरी  | डीम्ड लोक सूचना अधिकारी<br>श्रीमती कुसुम मिश्र(डोभाल)<br>को रू0 2000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है.   | अनुपालन कर लिया गया<br>है  |  |

|    |       |            |  |   |  |  |
|----|-------|------------|--|---|--|--|
|    |       |            | 2. कुलपति, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर   |   |  |  |
| 38 | अ-751 | 27.08.2008 | श्री जगदीश गुप्ता, मोती बाजार, हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हरिद्वार<br>2. उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की                             | तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री डी.के.अग्रवाल एवं श्री डी.एस.खाती प्रत्येक को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है.  | अनुपालन कर लिया गया है                           |  |
| 39 | अ-795 | 27.08.2008 | श्री विरेन्द्र सिंह पुण्डीर, ग्राम अलमस, पो. भवान, तहसील धनौली, जनपद टिहरी<br>प्रतिवादी<br>1. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी<br>2. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी | लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून को रू0 2500.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है.   | अनुपालन कर लिया गया है                           |  |
| 40 | अ-744 | 23.09.2008 | श्री राजपाल सिंह, ग्राम व पोस्ट - पश्चिमीवाला, विकास नगर, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. उप जिला अधिकारी, विकास नगर- देहरादून<br>2. जिला अधिकारी, देहरादून                                | तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / तहसीलदार, विकास नगर श्री एल.एस. राणा पर रू0 5000 का आर्थिक दण्ड एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिला अधिकारी, विकास नगर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं. | मा10 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त किया है। |  |
| 41 | अ-860 | 07.10.2008 | श्रीमती शशी रावत, स्ट्राबरी बैंक, कुलड़ी बाजार, मसूरी, जनपद देहरादून   | तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री प्रहलाद सिंह रावत को रू0 5000 का  | मा10 उच्च न्यायालय से स्थगन ले लिया गया है       |  |

|    |       |            |  |  |   |  |
|----|-------|------------|--|--|---|--|
|    |       |            | <p>प्रतिवादी</p> <p>1.अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देहरादून</p> <p>2.आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी</p>   | अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया.   |   |  |
| 42 | अ-805 | 10.09.2008 | <p>श्री किशोर कुमार, ग्राम व पोस्ट भैड़, वाया सिलोगी, जनपद पौड़ी</p> <p>प्रतिवादी</p> <p>1.निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 5 तिलक रोड, देहरादून</p> <p>2.मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड, चन्द्रबनी, देहरादून</p> | लोक सूचना अधिकारी को रू0 3000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया                            | प्रमुख्य वन संरक्षक ने अपने पत्र दिनांक 10.11.2008 द्वारा अवगत कराया है कि सम्बन्धित अधिकारी के माह अक्टूबर के वेतन से दण्ड की धनराशि वसूल कर ली जायेगी |  |
| 43 | अ-958 | 18.12.2008 | <p>श्री किरतपाल सिंह, 213 मालवीय नगर, हरिद्वार.</p> <p>प्रतिवादी</p> <p>1.जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार</p> <p>2.अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी</p>   | लोक सूचना अधिकारी को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया।                           | अनुपालन कर लिया गया है।   |  |
| 44 | अ-950 | 22.12.2008 | <p>श्री पवन कुमार सैनी, ज0इ0का0 माजरी, गुम्मावाला, हरिद्वार।</p> <p>प्रतिवादी</p> <p>1.जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार</p> <p>2.निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, कालाढूंगी रोड़, दुर्गा भवन, हल्द्वानी, नैनीताल।</p> | तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया। | अनुपालन कर लिया गया है  |  |

|    |        |            |  |  |                         |                      |
|----|--------|------------|--|--|-------------------------|----------------------|
| 45 | अ-953  | 22.12.2008 | श्री अजय राजपूत, स0अ0ए0टी0(गणित), राजकीय इण्टर कालेज, माजरी ग्रांट, देहरादून।<br>प्रतिवादी<br>1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डोईवाला, जिला देहरादून।<br>2. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून | लोक सूचना अधिकारी/ खण्ड शिक्षा अधिकारी, डोईवाला, देहरादून।   | अनुपालन कर लिया गया है  |                      |
| 46 | अ-1037 | 15.01.2009 | श्री पीताम्बर पपनै प्रतिवादी<br>1. प्रधानाचार्य, रा0 औ0 प्र0 संस्थान, अल्मोड़ा<br>2. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं संवायोजन, उत्तराखण्ड  | लोक सूचना अधिकारी को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया।   | अनुपालन कर लिया गया है। |                      |
| 47 | अ-1151 | 19.02.2009 | श्री औंकारदीप सिंह सिद्धकी, काशीपुर प्रतिवादी<br>1. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर।<br>2. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।  | तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है। |                         | कार्यवाही चल रही है। |
| 48 | अ-1076 | 18.02.2009 | श्री अमर सिंह घुन्ता, राजेन्द्र नगर देहरादून प्रतिवादी<br>1. जिला शिक्षा अधिकारी मयूर विहार, देहरादून।<br>2. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  | लोक सूचना अधिकारी को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया।   |                         | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |   |   |   |                      |
|----|--------|------------|---|---|---|----------------------|
| 49 | अ-1079 | 16.02.2009 | श्री एन.डी.डोबरियाल, भण्डारी बाग, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, जलागम प्रबंध दुगड्डा,पौड़ी<br>2.उप निदेशक, जलागम प्रबंध, दुगड्डा,पौड़ी                | लोक सूचना अधिकारी को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया।  | अनुपालन कर लिया गया है                          |                      |
| 50 | अ-1096 | 16.02.2009 | श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, नागेश्वर डाकरा बाजार, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1.जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून<br>2.जिला अधिकारी, देहरादून   | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया।  |   | कार्यवाही चल रही है। |
| 51 | अ-1101 | 25.02.2009 | श्री गजेन्द्र पाल सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल<br>प्रतिवादी<br>1.जिला शिक्षा अधिकारी,पौड़ी<br>2.अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी  | लोक प्राधिकारी के रूप में मण्डलीय शिक्षा निदेशक पौड़ी पर रू0 50000.00 की क्षतिपूर्ति की राशि आरोपित की गई है तथा उस रीश को अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिये गये है। | मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है |                      |
| 52 | अ-1166 | 25.02.2009 | श्री संतोष कुमार, पो0 श्रीनगर<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी,उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन,देहरादून.<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी,अपर सचिव,उच्च शिक्षा अनुभाग-6,उत्तराखण्ड | लोक प्राधिकारी के रूप में सचिवालय प्रशासन विभाग पर रू0 50000.00 की क्षतिपूर्ति की राशि आरोपित की गई है तथा उस रीश को अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिये गये है।       |   | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |   |  |                        |
|----|--------|------------|---|--|------------------------|
|    |        |            | सचिवालय, देहरादून   |  |                        |
| 53 | अ-673  | 12.08.2008 | श्री वी०एन०एस० अग्रवाल, ए 2 / 04, ई.जी.वी.ए. सैक्टर ओमेगा प्रथम, ग्रेटर नोएडा प्रतिवादी<br>1. जिला सहायक निबंधक, सहकार समितियां, विकास भवन, सर्वे चौक, देहरादून.<br>2. अपर निबंधक, सहकार समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोडा. | लोक सूचना अधिकारी / सचिव, यमुना वैली हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, डाकपत्थर को रु० 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है।   | कार्यवाही चल रही है।   |
| 54 | अ-1056 | 04.02.2009 | श्री कलग राम चौहान, तहसील त्यूनी, देहरादून प्रतिवादी<br>1. अधिशासी अभियन्ता, पी०डब्ल्यू०डी०, चकराता डिवीजन, देहरादून<br>2. अधीक्षण अभियन्ता, नवाँ वुत्त(बी एण्ड आर), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० देहरादून                     | तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री आर० सी० पसबोला पर रु० 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया।   | अनुपालन कर लिया गया है |
| 55 | अ-1047 | 21.01.2009 | श्री ललिता प्रसाद, बैल रोड, देहरादून प्रतिवादी<br>1. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून<br>2. अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून   | लोक प्राधिकारी के रूप में सचिवालय प्रशासन विभाग पर रु० 50000.00 की क्षतिपूर्ति की राशि आरोपित की गई है तथा उस राशि को अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिये गये है। | कार्यवाही चल रही है।   |
| 56 | अ-1156 | 16.02.2009 | श्री महेशानन्द धिल्डियाल, विधाता भवन, पौड़ी गढ़वाल  | लोक सूचना अधिकारी को रु० 5000.00 का आर्थिक   | कार्यवाही चल रही है।   |

|    |                |            |  |   |  |                      |
|----|----------------|------------|--|---|--|----------------------|
|    |                |            | प्रतिवादी<br>1.जिला शिक्षा अधिकारी,पौड़ी<br>2.अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल<br>मण्डल पौड़ी  | दण्ड आरोपित किया गया।   |  |                      |
| 57 | अ-1122         | 06.03.2009 | श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, ग्राम सहदेवपुर, हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1.जिला शिक्षा अधिकारी,हरिद्वार<br>2.अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल<br>मण्डल,पौड़ी  | जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय पर रु0 50000.00 की क्षतिपूर्ति की राशि आरोपित की गई है तथा उस राशि को अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिये गये है। |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 58 | शि0सं0<br>1783 | 17.11.2008 | श्री यशवन्त बडियारी, वि0<br>ख0- देवाल, चमोली<br>प्रतिवादी<br>1.खण्ड विकास अधिकारी,<br>देवाल, जिला चमोली।   | लोक सूचना अधिकारी को तथ्यात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की संस्तुति की गई है।   |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 59 | अ-1047         | 21.01.2009 | श्री ललिता प्रसाद, बैल रोड,<br>निकट-पिपलेश्वर मन्दिर,<br>क्लेमन्टाउन, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी,<br>मुख्य नगर अधिकारी,<br>नगर निगम देहरादून.<br>2. विभागीय अपीलीय<br>अधिकारी, अपर जिला<br>अधिकारी(वित्त एवं<br>राजस्व), देहरादून | लोक प्राधिकारी को प्रार्थ को रु0 50000.00 क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं   |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 60 | अ-1156         | 16.02.2009 | श्री महेशानन्द धिल्डियाल,<br>विधाता भवन, विकास नगर<br>(गाड़ीघाट) कोटद्वार, पौड़ी   | लोक सूचना अधिकारी को रु0 5000/ का आर्थिक दण्ड एवं विभागीय कार्यवाही   |  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |  |  |   |                      |
|----|--------|------------|--|--|---|----------------------|
|    |        |            | गढ़वाल<br>प्रतिवादी<br>1. जिला शिक्षा अधिकारी,<br>पौड़ी<br>2. अपर शिक्षा निदेशक,<br>गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।   | के निर्देश दिये गये हैं।   |   |                      |
| 61 | अ-1115 | 16.03.2009 | डा० जयदीप दत्ता, 13 न्यू सर्वे<br>रोड, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी,<br>अधीक्षण अभियन्ता,<br>उत्तराखण्ड जल संस्थान,<br>देहरादून।<br>2. मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड<br>जल संस्थान, जल भवन, बी<br>ब्लाक नेहरू कालोनी,<br>देहरादून। | लोक सूचना अधिकारी को<br>रु० 25000.00 का आर्थिक<br>दण्ड एवं अपीलकर्ता को रु०<br>25000.00 रु० की क्षतिपूर्ति<br>के रूप में दिये जाने के<br>आदेश दिये गये हैं।  |   | कार्यवाही चल रही है। |
| 62 | अ-1244 | 24.03.2009 | सुश्री वी देवी, कबीर आश्रम,<br>लक्षमणझूला रो, ऋषिकेश<br>जनपद देहरादून।<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी, जिला<br>शिक्षा अधिकारी, पौड़ी<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी,<br>अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल<br>मण्डल पौड़ी।                              | लोक सूचना अधिकारी/<br>जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी<br>को रु० 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड तथा लोक प्राधिकारी/<br>जिला शिक्षा अधिकारी<br>कार्यालय को रु० 10000.00<br>क्षतिपूर्ति के रूप में<br>अपीलकर्ता को उपलब्ध<br>कराने के निर्देश दिये गये<br>हैं। |   | कार्यवाही चल रही है। |
| 63 | अ-1247 | 24.03.2009 | श्री आनन्द सिंह नेगी, पौड़ी<br>प्रतिवादी<br>1. सहायक अभियन्ता लोक<br>निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड   | डीम्ड लोक सूचना अधिकारी<br>को रु० 5000.00 का अर्थिक<br>दण्ड एवं अपीलकर्ता को रु०<br>50000.00 की क्षतिपूर्ति के   | डीम्ड लोक सूचना<br>अधिकारी से रु० 5000.00<br>आर्थिक दण्ड की वसूली<br>कर ली गई है। |                      |

|    |        |            |   |   |  |                      |
|----|--------|------------|---|---|--|----------------------|
|    |        |            | पौड़ी<br>2.अधिकासी अभियन्ता, लोक<br>निर्माण विभाग,निर्माण खण्ड<br>पौड़ी।  | आदेश दिये गये हैं।  |  |                      |
| 64 | अ-1237 | 25.03.2009 | श्री पियूष कुमार गुप्ता पुत्र श्री<br>शोभाराम, हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1.खण्ड शिक्षा अधिकारी,<br>रूडकी, हरिद्वार।<br>2.जिला शिक्षा अधिकारी,<br>हरिद्वार।   | डीम्ड लोक सूचना अधिकारी,<br>प्रधानाचार्य सनातन धर्म<br>प्रकाश चन्द्र गर्ल्स इण्टर<br>कालेज, रूडकी को रु<br>10000.00 का आर्थिक दण्ड<br>एवं जिला शिक्षा अधिकारी<br>,हरिद्वार को अपीलकर्ता को<br>रु0 10000.00 का क्षतिपूर्ति<br>दिये जाने के आदेश दिये<br>गये हैं। |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 65 | अ-1256 | 26.03.2009 | श्री रूपेश जोशी पुत्र स्व0 श्री<br>गोबिन्द प्रसाद जोशी, श्रीनगर<br>प्रतिवादी<br>1.अधिकासी अधिकारी, नगर<br>पालिका परिषद श्रीनगर, पौड़ी<br>गढ़वाल<br>2.उप जिला अधिकारी, श्रीनगर<br>गढ़वाल           | लोक सूचना अधिकारी को<br>अपीलकर्ता को रु0 5000.00<br>की क्षतिपूर्ति के आदेश दिये<br>गये हैं।   |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 66 | अ-1303 | 31.03.2009 | श्री विरेन्द्र सिंह रावत, गाँधी<br>रोड, देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी, जिला<br>अधिकारी / नोडल<br>अधिकारी, समूह ग परीक्षा,<br>चमोली।<br>2.विभागीय अपीलीय<br>अधिकारी, जिला अधिकारी / | अपीलार्थी को रु0 5000.00<br>की क्षतिपूर्ति देने के निर्देश<br>दिये गये हैं।   |  | कार्यवाही चल रही है। |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | नोडल अधिकारी, समूह ग<br>परीक्षा, चमोली। |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

वर्ष का कुल योग:

शिकायत : 1

अपील : 66

### आदेश क्रियान्वयन पंजिका

वर्ष: 2009 – 10

| क्र०<br>सं० | शिकायत<br>/ अपील<br>संख्या | आदेश का<br>दिनांक | अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के<br>विवरण | आदेश का संक्षिप्त विवरण | यदि उच्च न्यायालय<br>द्वारा स्थगनादेश<br>जारी किया हो तो<br>उच्च न्यायालय की | अभ्युक्ति |
|-------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|--|-----------|
|-------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|--|-----------|

|   |         |            |  |  | रिट पेटिशन संख्या<br>तथा दिनांक                         |                      |
|---|---------|------------|--|--|---|----------------------|
| 1 | 2       | 3          | 4  | 5  | 6   | 7                    |
| 1 | अ-1281  | 02.04.2009 | श्रीमती स्मिता बहुगुणा, धर्मपुर,<br>देहरादून<br>बनाम<br>1.अनु सचिव, गृह विभाग,<br>उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।<br>2.संयुक्त सचिव, गृह विभाग,<br>उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। | लोक सूचना अधिकारी को<br>रु0 5000/ का आर्थिक<br>दण्ड एवं विभागीय कार्यवाही<br>के निर्देश दिये गये हैं।  |   | कार्यवाही चल रही है। |
| 2 | अ-1302  | 29.04.2009 | श्री भगवान सिंह कोरंगा, जिला<br>बागेश्वर<br>बनाम<br>1. लोक सूचना अधिकारी, जिला<br>उद्यान कार्यालय, बागेश्वर<br>2. जिला उद्यान अधिकारी,<br>बागेश्वर                       | लोक सूचना अधिकारी को<br>रु0 25000.00 एवं भागीय<br>अपीलीय अधिकारी के<br>कार्यालय को रु0 50000.00<br>के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये<br>गये हैं।   | मा10 उच्च न्यायालय<br>से स्थगन आदेश<br>प्राप्त किया है। |                      |
| 3 | अ-1447  | 07.07.2009 | श्री सुमित कुमार यादव,<br>लूनिया मोहल्ला देहरादून<br>बनाम<br>1.जिला शिक्षा अधिकारी,<br>देहरादून।<br>2.अपर निदेशक, विद्यालयी<br>शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी               | लोक सूचना अधिकारी के<br>विरुद्ध रु0 5000.00 एवं<br>लोक प्राधिकारी के कार्यालय<br>को अपीलकर्ता को रु0<br>5000.00 के क्षतिपूर्ति के<br>आदेश दिये गये हैं।                            |   | कार्यवाही चल रही है। |
| 4 | अ- 1458 | 17.07.2009 | श्री सत्यप्रेम, ए- 6, रामनगर<br>कालोनी, हरिद्वार<br>बनाम<br>1.प्रभारी निरीक्षक, श्री वी0<br>एस0 चौहान, कोतवाली<br>ज्वालापुर, हरिद्वार<br>2.सहायक पुलिस अधीक्षक,          | लोक सूचना अधिकारी को<br>रु0 2500.00 का आर्थिक<br>दण्ड एवे लोक प्राधिकारी को<br>अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के<br>रूप में रु0 5000.00 का<br>भुगतान करने के आदेश<br>पारित किये गये हैं। |   | कार्यवाही चल रही है। |

|   |         |            |   |  |                         |
|---|---------|------------|---|--|-------------------------|
|   |         |            | हरिद्वार  |  |                         |
| 5 | अ-1152  | 20.07.2009 | श्रीमती पूजा बागड़ी, ऋषिकेश<br>बनाम<br>1. जिला शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्र<br>नगर, टिहरी गढ़वाल<br>2. अपर निदेशक, विद्यालयी<br>शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी   | लोक प्राधिकारी के कार्यालय<br>को अपीलकर्ता को रू0<br>530.00 के क्षतिपूर्ति के<br>आदेश दिये गये हैं।  | अनुपालन कर लिया गया है। |
| 6 | अ- 1418 | 22.07.2009 | श्री हरपाल सिंह पवार, बी-85<br>हरिद्वार<br>1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली,<br>ज्वालापुर, हरिद्वार<br>2. सहायक पुलिस अधीक्षक,<br>क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार  | लोक सूचना अधिकारी एवं<br>विभागीय अपीलीय अधिकारी<br>को संयुक्त रूप से<br>अपीलकर्ता को रू0 10000.<br>00 के क्षतिपूर्ति देने के<br>आदेश दिये गये हैं। | कार्यवाही चल रही है।    |
| 7 | अ-1544  | 25.07.2009 | श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, रायपुर<br>रोड, देहरादून<br>बनाम<br>1. लोक सूचना अधिकारी, उप<br>निदेशक, आर्युवैदिक एवं<br>युनानी सेवायें, उत्तराखण्ड,<br>देहरादून<br>2. निदेशक, आर्युवैदिक एवं<br>युनानी सेवायें, उत्तराखण्ड<br>देहरादून | लोक सूचना अधिकारी के<br>विरुद्ध रू0 5000.00 का<br>आर्थिक दण्ड एवं विभागीय<br>कार्यवाही के आदेश दिये गये<br>हैं।                                    | कार्यवाही चल रही है।    |
| 8 | अ-1591  | 27.07.2009 | श्री अनवर राणा, पो0 ओ0<br>पिरानकलियर, जिला हरिद्वार<br>बनाम<br>1. लोक सूचना अधिकारी<br>/ बन्दोबस्त, चकबन्दी<br>अधिकारी रुड़की(चतुर्थ)<br>2. प्रभारी बन्दोबस्त<br>अधिकारी, चकबन्दी स्थान   | लोक सूचना अधिकारी के<br>विरुद्ध रू0 10000.00 का<br>आर्थिक दण्ड एवं विभागीय<br>कार्यवाही के आदेश दिये गये<br>हैं।                                   | कार्यवाही चल रही है।    |

|    |        |            | रूडकी  |   |  |                         |
|----|--------|------------|--|---|--|-------------------------|
| 9  | अ-1473 | 29.07.2009 | श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, रायपुर रोड, देहरादून<br>बनाम<br>1. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।<br>2. अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी  | लोक प्राधिकारी के कार्यालय को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं। |  | कार्यवाही चल रही है।    |
| 10 | अ-1635 | 21.08.2009 | श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, सम्पादक सूर्य जागरण, 104 ईश्वर विहार, फेज-2, रायपुर रोड, देहरादून<br>बनाम<br>1. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून<br>2. कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है।                         |  | कार्यवाही चल रही है।    |
| 11 | अ-1627 | 25.08.2009 | श्री आँकार दीप सिंह, दीप डिपार्टमेन्टल स्टोर, सिद्धकी मार्केट काशीपुर, उधम सिंह नगर<br>बनाम<br>1. तहसीलदार जसपुर, उधम सिंह नगर<br>2. उप जिला अधिकारी, काशीपुर, जसपुर, जिला उधम सिंह नगर.                           | लोक प्राधिकारी के कार्यालय को अपीलकर्ता को रू0 465.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।  |  | अनुपालन कर लिया गया है। |
| 12 | अ-1667 | 15.09.2009 | श्री राजेश रस्तोगी, चैनं0 58,  | लोक प्राधिकारी के कार्यालय  |  | कार्यवाही चल रही है।    |

|    |        |            |  |   |  |                      |
|----|--------|------------|--|---|--|----------------------|
|    |        |            | जिला एवं सत्र न्यायालय,<br>रोशनाबाद,हरिद्वार<br>बनाम<br>1.लोक सूचना अधिकारी,<br>तहसीलदार, लक्सर, जिला<br>हरिद्वार<br>2.जिला अधिकारी, हरिद्वार  | को अपीलकर्ता को रू0<br>5000.00 के क्षतिपूर्ति के<br>आदेश दिये गये हैं।  |  |                      |
| 13 | अ-1698 | 15.09.2009 | डा0जयदीप दत्ता, 13-ए, न्यू<br>सर्वे रोड, देहरादून<br>बनाम<br>1.लोक सूचना<br>अधिकारी,कार्यालय<br>महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य<br>एवं परिवार कल्याण,<br>उत्तराखण्ड, देहरादून<br>2.महानिदेशक, चिकित्सा<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण<br>निदेशालय, देहरादून   | लोक सूचना अधिकारी को<br>रू0 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड एवे लोक प्राधिकारी को<br>अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के<br>रूप में रू0 25000.00 का<br>भुगतान करने के आदेश<br>पारित किये गये हैं।   |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 14 | अ-1703 | 16.09.2009 | श्री कुरबान अली पुत्र अली शेर<br>निवासी -ग्राम चौली,<br>शहाबुद्दीन ब्लोक व परगना<br>भगवानपुर, तहसील रुड़की,<br>जिला हरिद्वार<br>बनाम<br>1.प्रधान/ग्राम विकास<br>अधिकारी, ग्राम पंचायत चोली,<br>शहाबुद्दीन, ब्लोक व परगना<br>भगवानपुर, तहसील रुड़की<br>जिला हरिद्वार<br>2.,खण्ड विकास अधिकारी,<br>भगवानपुर, जिला हरिद्वार | लोक सूचना अधिकारी के<br>रूप में प्रधान/ग्राम विकास<br>अधिकारी, ग्राम पंचायत<br>चोली, शहाबुद्दीन, ब्लोक व<br>परगना भगवानपुर, तहसील<br>रुड़की जिला हरिद्वार को<br>रू0 5000.00- रू0 5000.00<br>का आर्थिक दण्ड आरोपित<br>किया गया है। |  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |   |  |  |                      |
|----|--------|------------|---|--|--|----------------------|
| 15 | अ-1746 | 13.10.2009 | श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 236 – एल, नागेश्वर डाकरा बाजार, देहरादून, उत्तराखण्ड<br>बनाम<br>1.लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी सदर, देहरादून<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला अधिकारी, देहरादून   | लोक सूचना अधिकारी को रू0 10000.00 का आर्थिक दण्ड एवे लोक प्राधिकारी को अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 10000.00 का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं। |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 16 | अ-1694 | 13.10.2009 | श्रीमती बबीता, स0 अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भैल रानीपुर, बी0एच0ई0एल0 सेक्टर-1, बहादुराबाद, हरिद्वार<br>बनाम<br>1.जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार<br>2.अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल पौड़ी | लोक सूचना अधिकारी को रू0 25000.00 का आर्थिक दण्ड एवे लोक प्राधिकारी को अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 50000.00 का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं। |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 17 | अ-1701 | 15.10.2009 | श्री जे0पी0पाण्डेय,बजरिये दीप रिखाड़ी,एडवोकेट वेतालघाट, नैनीताल<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय, नैनीताल<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय, नैनीताल     | लोक सूचना अधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय, नैनीताल पर रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड के साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये हैं।            |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 18 | अ-1766 | 15.10.2009 | श्री अमर सिंह घुन्ता, 827 / 1, सिरमौर माग्र, राजेन्द्र नगर देहरादून   | लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून एवं डीम्ड लोक सूचना  |  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |  |  |  |                      |
|----|--------|------------|--|--|--|----------------------|
|    |        |            | <p>प्रतिवादी</p> <p>1.लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून</p> <p>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी</p>  | <p>अधिकारी/ प्रधानाचार्य, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून, इण्टर कालेज देहरादून पर रू0 5000-5000 का अर्थिक दण्ड आरोपित करने के साथ ही विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।</p>                                       |  |                      |
| 19 | अ-1792 | 23.10.2009 | <p>श्री संजय भट्ट पुत्र श्री जी0आर0भट्ट, पता -4, बिन्दाल कॉलोनी, ईदगाह मार्ग, श्री परशुराम मन्दिर चौक, प्रकाश नगर, देहरादून</p> <p>प्रतिवादी</p> <p>1. लोक सूचना अधिकारी, एस0डी0एम0 मसूरी(नगर मजिस्ट्रेट देहरादून)देहरादून</p> <p>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला अधिकारी, देहरादून</p> | <p>लोक प्राधिकारी के रूप में जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून को रू0 5000.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।</p>   |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 20 | अ-1779 | 27.10.2009 | <p>श्री रामप्रकाश गुप्त, ओक लॉज, ओक्स रोड, रमादेवी इण्टर कालेज के निकट, मसूरी, देहरादून</p> <p>प्रतिवादी</p> <p>1. लोक सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून</p> <p>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी</p>                              | <p>तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया एवं उनके विरुद्ध कठोरतम विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।</p> |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 21 | अ-1781 | 27.10.2009 | <p>श्री राजसिंह पाल, 528, प्रीत</p>  | <p>तत्कालीन लोक सूचना</p>  |  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |  |  |                      |
|----|--------|------------|--|--|----------------------|
|    |        |            | <p>विहार, रेलवे स्टेशन, गझोशपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार।<br/>प्रतिवादी</p> <p>1. लोक सूचना अधिकारी, कार्यवाहक उपनिदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।<br/>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून</p> | <p>अधिकारी श्री कमल सिंह पर रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।</p>  |                      |
| 22 | अ-1543 | 03.11.2009 | <p>श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, 104, ईश्वर विहार, फेस-2, रायपुर रोड, देहरादून<br/>प्रतिवादी</p> <p>1. लोक सूचना अधिकारी, अनुसचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून<br/>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून</p>                              | <p>लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन उप जिला अधिकारी पाटी हाल उप जिला अधिकारी पूर्णागिरी टनकपुर, जिला चम्पावत श्री जगदीष चन्द्र काण्डपाल पर रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की गई।</p> | कार्यवाही चल रही है। |
| 23 | अ-1711 | 03.11.2009 | <p>श्रीमती कमला आहूजा पत्नी श्री हरकेश आहूजा, निवासी 8 / 4, ओल्ड कालोनी, धर्मपुर, देहरादून<br/>प्रतिवादी</p> <p>1. लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार, देहरादून<br/>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी,</p>   | <p>लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार, देहरादून पर रू0 25000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं नायब तहसीलदार एवं विभागीय अपील अधिकारी तहसीलदार, देहरादून के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के</p>  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |   |            |  |  |                      |
|----|---|------------|--|--|----------------------|
|    |   |            | तहसीलदार, देहरादून   | आदेश पारित किये गये।   |                      |
| 24 | अ-1755<br>1725<br>1759<br>1726<br>1728<br><br>एवं<br>1760 | 03.11.2009 | श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, सम्पादक<br>सूर्य जागरण, 104, ईश्वर<br>विहार, फेस-2, रायपुर रोड,<br>देहरादून<br><br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी,<br>खण्ड शिक्षा अधिकारी, रायपुर,<br>अजबपुर कलां देहरादून।<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी,<br>जिला शिक्षा अधिकारी,<br>देहरादून                                     | लोक प्राधिकारी के रूप में<br>अपर निदेशक चिद्यालयी<br>शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी<br>को अपील संख्या<br>1725,1759,1726,1728 प्रत्येक<br>में अपीलकर्ता को रू0<br>5200-5200 की क्षतिपूर्ति के<br>आदेश दिये गये हैं एवं<br>अपील संख्या 1760 में जिला<br>शिक्षा अधिकारी देहरादून को<br>सुश्री रचना गर्ग, अपीलकर्ता<br>को रू0 5200.00 का क्षतिपूर्ति<br>दिये जाने के आदेश दिये<br>गये हैं। | कार्यवाही चल रही है। |
| 25 | अ-1818  | 03.11.2009 | श्री विजय कुमार मित्तल, 652,<br>सत्य विहार, विजय पार्क<br>देहरादून<br><br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी,<br>पेयजल संसाधन विकास एवं<br>निर्माण निगम, 11, मोहिनी<br>रोड, देहरादून।<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी,<br>प्रबंध निदेशक, पेयजल<br>संसाधन विकास एवं निर्माण<br>निगम, 11, मोहिनी रोड,<br>देहरादून. | लोक सूचना अधिकारी पर<br>रू0 5000.00 का आर्थिक<br>दण्ड आरोपित किया गया है<br>एवं उनके विरुद्ध विभागीय<br>कार्यवाही की संस्तुति की गई<br>है।   | कार्यवाही चल रही है। |
| 26 | अ-1821  | 03.11.2009 | श्री किशोर मैठाणी, प्रदेश<br>अध्यक्ष, उत्तराखण्ड एडीटर्स<br>एसोसियेशन,<br>सागर   | जिला अधिकारी कार्यालय<br>देहरादून को अपीलकर्ता को<br>रू0 5000.00 क्षतिपूर्ति के  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |   |   |  |                      |
|----|--------|------------|---|---|--|----------------------|
|    |        |            | कम्यूनिकेशन नटराज चौक,<br>ऋषिकेश<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी,<br>जिला शिक्षा अधिकारी,<br>देहरादून<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी,<br>अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल<br>मण्डल पौड़ी  | रूप में दिये जाने के निर्देश<br>दिये गये।   |  |                      |
| 27 | अ-1811 | 09.11.2009 | श्री श्री रजनीश अग्रवाल,<br>शिवालिक लक्जरी<br>एपार्टमेन्ट, 1-कर्जन रोड,<br>देहरादून<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी,<br>अधिकासी अभियन्ता, एम.डी.डी.<br>ए. देहरादून<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी,<br>सचिव, एम.डी.डी.ए. देहरादून,<br>देहरादून            | विभागीय अपील अधिकारी<br>एम.डी.डी.ए. कार्यालय पर<br>अपीलकर्ता को रू0 1.00<br>क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश<br>जारी किये गये।               |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 28 | अ-1812 | 11.11.2009 | श्री नारायण दत्त पन्त पुत्र श्री<br>चन्द्रदत्त पन्त, ग्राम कुणाकोली,<br>पो.ओ0 अम्याणी, तहसील<br>रानीखेत, जिला अल्मोड़ा।<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी,<br>जिला पूर्ति अधिकारी,<br>अल्मोड़ा।<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी,<br>जिला अधिकारी, अल्मोड़ा। | लोक प्राधिकारी जिला<br>अधिकारी कार्यालय पर<br>अपीलकर्ता को रू0 5000.00<br>क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध<br>कराने के आदेश दिये गये<br>हैं। |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 29 | अ-1778 | 01.12.2009 | श्रीमती हर्षिता, ए-6, रामनगर  | लोक प्राधिकारी को रू0   |  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |  |  |  |                      |
|----|--------|------------|--|--|--|----------------------|
|    |        |            | कालोनी, पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी, राज्य उपभेक्ता विवाद प्रतिपोष आयोग, कचहरी परिसर, देहरादून<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, राज्य उपभेक्ता विवाद प्रतिपोष आयोग, कचहरी परिसर, देहरादून | 6600.00 क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं।   |  |                      |
| 30 | अ-1831 | 01.12.2009 | श्री हरपाल सिंह पवार, बी-85 श्री रामनगर, निकट गोल गुरुद्वारा, ज्वालापुर, हरिद्वार।<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, हरिद्वार।<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला अधिकारी, हरिद्वार।                     | लोक सूचना अधिकारी पर रू0 25000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है।          |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 31 | अ-1852 | 02.12.2009 | डा0 एस0के0 गोयल, 38 सिविल लाइन्स रुड़की, जिला हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1. लोक सूचना अधिकारी/अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड शहरी, रुड़की<br>2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की         | अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड शहरी, रुड़की को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। |  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |  |   |  |                      |
|----|--------|------------|--|---|--|----------------------|
| 32 | अ-1853 | 02.12.2009 | श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री लाल बाबू प्रसाद, निवासी - ई0 91, एन0एच0पी0सी0 बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जिला चम्पावत<br>प्रतिवादी<br>1.कुल सचिव, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल<br>2.कुलपति, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल  | लोक सूचना अधिकारी को रुव 5000.00 का अर्थिक दण्ड एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।  |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 33 | अ-1857 | 02.12.2009 | श्री अशोक कुमार पुत्र स्व श्री पातीराम, रुई बाजार मंगलोर, परगना मंगलोर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार।<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, रुड़की।<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, उप महा प्रबंधक, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की। | अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, रुड़की को अपीलकर्ता को रु0 5000.00 की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता को दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।   |  | कार्यवाही चल रही है। |
| 34 | अ-1809 | 03.12.2009 | श्री लक्ष्मण सिंह रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत, कैंटीन जिला पंचायत प्रेस पसिर, पौड़ी गढ़वाल<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, रिखड़ीखाल, पौड़ी गढ़वाल<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी  | लोक सूचना अधिकारी को रु0 5000.00 का अर्थिक दण्ड एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।<br>विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय को अपीलकर्ता को रु 4855.00 का क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं। |  | कार्यवाही चल रही है। |

|    |        |            |   |  |                      |
|----|--------|------------|---|--|----------------------|
|    |        |            | गढ़वाल  |  |                      |
| 35 | अ-1826 | 04.12.2009 | श्री महेन्द्र पाल, ग्राम व पोस्ट धर्मावाला, वाया हरबर्टपुर, देहरादून।<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, देहरादून<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।                | डीमंड लोक सूचना अधिकारी, / प्राधानाचार्य, डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, करनपुर, देहरादून को रू0 10000.00 का अर्थिक दण्ड एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। | कार्यवाही चल रही है। |
| 36 | अ-1840 | 04.12.2009 | श्री लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त, ग्राम बेतनघान, पो0 देघाट, जिला अल्मोड़ा<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, स्याल्दे।<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।  | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है।  | कार्यवाही चल रही है। |
| 37 | अ-1871 | 09.12.2009 | श्री सुरेन्द्र प्रकाश मलिक पुत्र श्री भूपाल सिंह मलिक, 8-निर्मला छावनी, हरिद्वार<br>प्रतिवादी<br>1.लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी निक्षक, रानीपुर, हरिद्वार।<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर, हरिद्वार। | लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है।   | कार्यवाही चल रही है। |
| 37 | अ-1902 | 09.12.2009 | श्री जी0 एस0 त्रिपाठी, 35 राजपुर रोड, देहरादून<br>प्रतिवादी   | लोक प्राधिकारी को रू0 5000.00 की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता को उपलब्ध   | कार्यवाही चल रही है। |

|  |  |  |   |                            |  |  |
|--|--|--|---|----------------------------|--|--|
|  |  |  | 1.लोक सूचना अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।<br>2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून। | कराने के निर्देश दिये गये। |  |  |
|--|--|--|---|----------------------------|--|--|